

3491/01/07/16

झारखंड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
(आवास प्रभाग)

अधि०सं०-07/विविध-21/2016.....3491/

राँची, दिनांक:-.....01/07/16/

अधिसूचना

झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, 2000 की धारा-2 की उपधारा (11) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा (झा०प्र०से०, उप सचिव), राजस्व पदाधिकारी-सह-प्रभारी सचिव, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची को अपने कार्यों के अतिरिक्त सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य के लिए सक्षम पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची के रूप में अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(६)
01/07/16
(मनीषा जोसेफ तिग्गा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-07/विविध-21/2016.....3491/

राँची, दिनांक:-.....01/07/16/

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोणरडा, राँची को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि प्रकाशनोपरांत गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(६)
01/07/16
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-07/विविध-21/2016.....3491/

राँची, दिनांक:-.....01/07/16/

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(६)
01/07/16
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-07/विविध-21/2016.....3491/

राँची, दिनांक:-.....01/07/16/

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, हरमू, राँची/सभी उपायुक्त/श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, राजस्व पदाधिकारी-सह-प्रभारी सचिव, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची/सभी कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची एवं श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(६)
01/07/16
सरकार के उप सचिव।